

1124
6.3.2

आवश्यक / महत्वपूर्ण / द्वारा ई-मेल



पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, उत्तर प्रदेश

8वॉ तल, टावर-4, पुलिस मुख्यालय, अमर शहीद पथ, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ - 226002

e-mail : tshq@up.nic.in

पत्र संख्या: टीएस-05-2019/10/11/1264

दिनांक: मार्च, 5, 2020

सेवा में,

निदेशक,

विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ0प्र0,

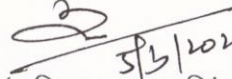
लखनऊ।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या: 145/2019/1097/6-पु0-7-7-2019-175/2016 दिनांक 05.08.2020 द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला, गाजियाबाद में डी0एन0ए0 यूनिट की स्थापना के अर्न्तगत स्वीकृत धनराशि से क्रय किये जा रहे उपकरण यथा थर्मो मिक्सर विद थर्मो ब्लाक्स, एवं होमोजिनाइजर विद एसेसरीज की क्रय प्रक्रिया हेतु जारी की गयी ई-निविदा के अनुसार दिनांक 02.03.2020 को ई-तकनीकी निविदा खोले जाने के उपरान्त दिनांक 04.03.2020 को ई-पोर्टल पर तकनीकी तुलनात्मक चार्ट अपलोड किये जाने थे जो तकनीकी कारणों से दिनांक 05.03.2020 को पूर्वाह्न में ई-पोर्टल पर अपलोड किये गये। दिनांक 05.03.2020 को क्रय समिति द्वारा तकनीकी बिड का मूल्यांकन किये जाने के पश्चात लिये गये निर्णय के अनुसार ई-वित्तीय भाव पत्र खोले जाने हेतु निम्नानुसार तिथियाँ निर्धारित की जाती हैं:-

1. ई-पोर्टल पर आन लाइन वित्तीय निविदा खोले जाने की तिथि 06.03.2020 समय 12.00 बजे
 2. क्रय समिति मीटिंग वित्तीय निविदा के मूल्यांकन के लिए तिथि 06.03.2020 समय 16.00 बजे
- उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथियों को अपलोड कराते हुए सम्बन्धित फर्मों व तकनीकी समिति एवं क्रय समिति के समस्त सदस्यों को अवगत कराते हुए तत्परता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

उपयुक्त उपकरण की क्रय प्रक्रिया के सम्बन्ध में ई-वित्तीय बिड दिनांक 06.03.2020 को समय 12.00 बजे व दिनांक 06.03.2020 को समय 16.00 बजे वित्तीय निविदा के मूल्यांकन हेतु क्रय समिति एवं तकनीकी समिति की संयुक्त बैठक पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, तकनीकी सेवाएँ, उ0प्र0, लखनऊ की अध्यक्षता में आहूत की गयी है। कृपया समय से प्रतिभाग करने का कष्ट करें।


(अनिल कुमार सिंह)
पुलिस अधीक्षक

उ0प्र0 राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो,
लखनऊ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. गोपनीय सहायक, पुलिस अधीक्षक, तकनीकी सेवाएँ, उ0प्र0, लखनऊ को अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने हेतु।

P.T.O